संख्या 02/IX/2012/79/2009

प्रेषक,

विनोद प्रसाद रतूड़ी
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त
उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड
देहरादून।

परिवहन एवं नागरिक उड्डयन अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक 20 मार्च, 2012

विषय- हरबर्टपुर बस अड्डे के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 94/IX/2010/89/2009 दिनांक 14-12-2010 द्वारा हरबर्टपुर में बस अड्डे के निर्माण हेतु प्रथम चरण के कार्यो हेतु ₹0.66 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम के पत्र संख्या 139 नि0यू0/X/सी0एम0यो0 ह0ब0र0टे0/2011 दिनांक 25 मार्च, 2011 के क्रम में हरबर्टपुर में बस अड्डे के निर्माण हेतु द्वितीय चरण के आगणन की आंकलित धनराशि ₹443.82 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा आगणित औचित्यपूर्ण अनुमोदित धनराशि ₹390.72 लाख (रूपये तीन करोड़ नब्बे लाख बहत्तर हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष में ₹20.00 लाख (रूपया बीस लाख मात्र) आपके निवर्तन पर रखते हुए इतनी ही धनराशि के व्यय की श्रीराज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल आफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

(2) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(3) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(4) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली-भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

(5) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(6) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-5-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

क्रमशः..2..

(7) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(8) कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) उक्त के अतिरिक्त सारांश शीट के मद संख्या–10 (डी0जी0सेट की आपूर्ति) हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार कार्यवाही की जाय।

2– उक्त धनराशि कोषागार से चैक के माध्यम से तत्काल प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम देहरादून को उपलब्ध करा दी जाय।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 24 के लेखाशीर्षक 5055–सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 190–सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश 03–उत्तराखण्ड परिवहन निगम हेतु बस स्टैण्ड के निर्माण हेतु अनुदान 20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के लिए भुगतान के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 193/XXVii/(2)/2012 दिनांक 20 मार्च, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(विनोद प्रसाद रतूड़ी)
अपर सचिव।

संख्या 02 /IX/2012/79/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– महालेखाकार (आडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेश सी–1/105 इन्दिरानगर, देहरादून।
3– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
5– मुख्य कोषाधिकारी देहरादून।
6– जिलाधिकारी, देहरादून।
7– आहरण वितरण अधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
8– प्रोजेक्ट मैनेजर, कन्सट्रक्शन यूनिट, उत्तराखण्ड पेयजल निगम चकराता जिला देहरादून।
9– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
10– वित्त अनु.–2 ।
11– एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।